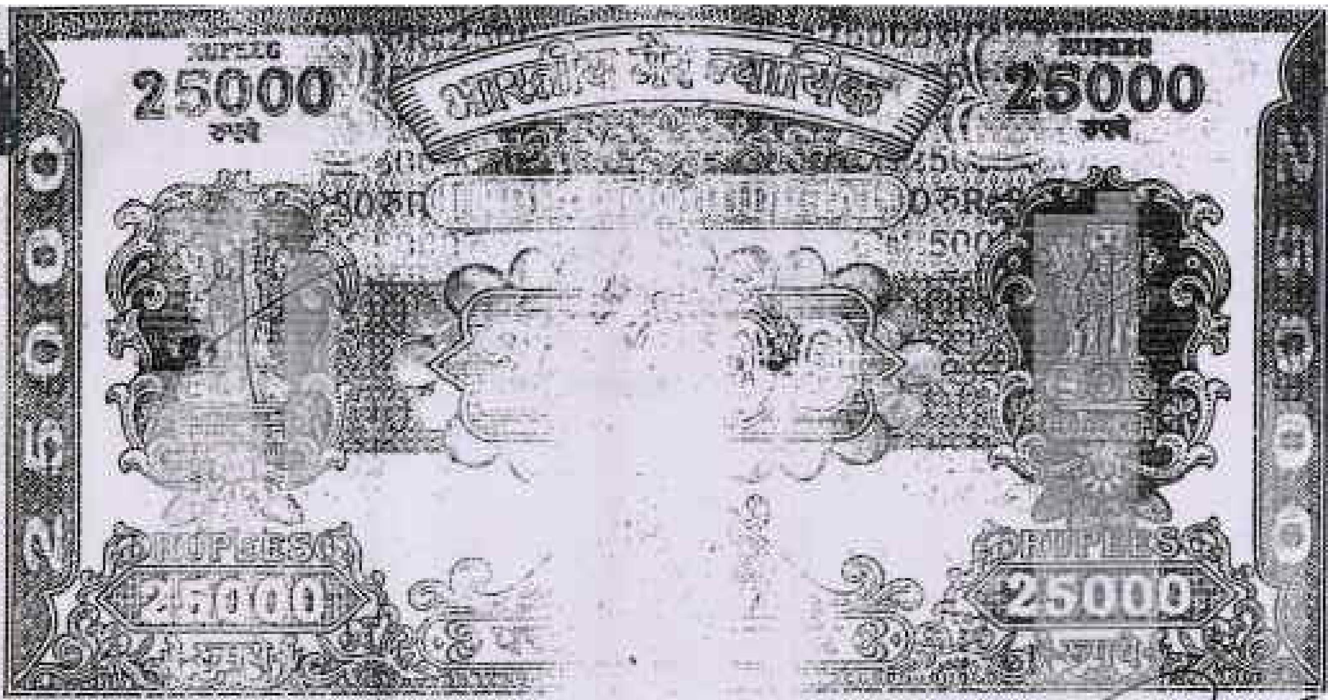

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048482

5.0.15 1100/08
स्टाम्प समायोजन
सब रजिस्ट्रार
रुड़की
दिनांक 22/7/08

<u>विक्रय अनुबन्ध पत्र</u>

1. अनुबन्ध की कुल धनराशि:- रू0 1,08,52,855-00(एक करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन मात्र)

2. अग्रिम प्राप्त धनराशि रू0 27,13,400-00(सत्ताईस लाख तेरह हजार चार सौ पचास मात्र)

3. शेष धनराशि रू0 81,39,455-00(इकयासी लाख उनतालीस हजार चार सौ पचपन मात्र)

4. अनुबन्ध पत्र पर अदा स्टाम्प शुल्क रू0 6,78500-00/-(छ लाख अठ्हत्तर हजार पांच सौ रूपये मात्र)

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 25-03-2008 को स्थान रुड़की में

Satendra Kumar Garg

Satendra Kumar Garg

208

दि० 19/3/08 का रु० 25000 X 27 = 675000/- 50097 = 3[illegible] का स्टाम्प

मूल्य की मिर्जा इन्वेस्टमेंट्स लि०

हरिद्वार

3 19/3/08

ह० स्टाम्प विक्रेता

ओमप्रकाश वर्मा

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार • उत्तराखण्ड •

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048461

स्टाम्प समायोजन

-2-

(1) श्री अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) तथा (2) मा0 अतुल कुमार (आयु 11 वर्ष) पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिनको इस प्रपत्र में प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है)।

........................प्रथम पक्ष

अतुल कुमार

कंवरवती

AGREEMENT 208

प्रलेख न: 1,434

No. 19/3/08 बही सं. 25070/

SALE OF IMMOVABLE PROPERTY WHERE POSSESSION IS NOT ADMITTED TO HAVE BEEN DEL

AGREEMENT बहीवादी 10,852,855.00 Advance 2,713,400.00

रजिस्ट्रेशन फीस	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग
10,000.0	20.00	680.00	10,700.0

श्री/श्रीमती/कुमारी अनुज कुमार

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री लोकेन्द्र पाल

निवासी दहियाकी पर0 मंगलौर तह0 रुडकी

ने आज दिनाँक 25-Mar-08 12: समय 5:25:07 pm

कार्यालय उप निबन्धक SRO02 ROORKEE

में प्रस्तुत की।

अनुज कुमार

उपनिबंधक रुडकी SRO Roorkee 02

इस लेखपत्र का निष्पादन सुनकर व समझकर व विक्रय धन/अग्रिम धन/नगद रु0 2,713,400.00

लेखानुसार प्राप्त करके श्री/श्रीमती/कुमारी अनुज कुमार s/o लोकेन्द्र पाल, दहियाकी पर0 मंगलौर तह0 रुडकी/कंवरवती(संरक्षिका मा अतुल पुत्र लोकेन्द्र पाल)w/o लोकेन्द्र पाल, दहियाकी पर0 मंगलौर तह0 रुडकी

ने स्वीकार किया ।

व सम्पादन श्री/श्रीमती/कुमारी राजेश राधा कृष्णण(द्वारा मिर्क इलैक्ट्रोनिक्स लि0)s/o पी0आर0नायर , 158 रायपुर पर0 भगवानपुर तह0

ने किया ।

जिसकी पहचान ......

श्री लोकेन्द्र पाल सिंह

निवासी दहियाकी पर0 मंगलौर तह0 रुडकी

श्री राजेन्द्र चौधरी

निवासी 423/35 सिविल लाईन रुडकी

पुत्र श्री स्व0 चौ0श्याम सिंह

की।

सब रजिस्ट्रार रुडकी-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

अनुज कुमार

कंवरवती

उपनिबंधक रुडकी SRO Roorkee 02

उपनिबंधक रुडकी SRO Roorkee 02

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

048487

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

उ०नि०हरिद्वार
रुड़की
दिनांक 22/12/08

-3-

तथा

श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) (जिनको इस प्रपत्र में पुष्टिकर्ता कहकर सम्बोधित किया गया है)।

......................पुष्टिकर्ता

ने

मिर्क (MIRC) इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक विधिवत् पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओनिडा हाउस, जी-1 एम0आई0डी0सी0, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई द्वारा अपने अधिकृत

अतुल कुमार कंवर वती

दि० 19/3/08 को रु० 25000/- का स्टा०
हाथ श्री आनन्द कुमार श्री ....
निवासी .... को बेचा

19/3/08

स्टा० विक्रेता
कोषागार रुड़की

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-4-

प्रतिनिधि श्री राजेश राधा कृष्णन पुत्र श्री पी0आर0 नायर, निवासी मर्क इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, खसरा संख्या-158 ग्राम रायपुर परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड (जिनको इस प्रपत्र में द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है) के मध्य अंकित व निष्पादित हुआ।

.............................द्वितीय पक्ष

जैसा कि ग्राम मुन्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अर्न्तगत कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी के व्यवस्था से आच्छादित हो गया, उक्त अधिनियम की धारा-27

208 दि० 17/3/08 ... रु० 2500/-

नाम को ...

निवासी ...

उप रजिस्ट्रार 17/3/08

रोशनाबाद, हरिद्वार

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

उत्तरांचल UTTARANCHAL

-5-

तथा धारा 27 (2) के अर्न्तगत उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टयाँ

(1) के अर्न्तगत विधिवत राजस्व अभिलेखों का निर्माण हुआ

सत्य व ठीक तथा प्रमाणित मानी जावेगी।

सम्पत्ति के स्वामी,

और जैसा कि श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित

भूमिधर व अध्यासी रहे है। क्षेत्र में चकबन्दी की व्यवस्था होने पर 1397 फसली में प्रथम चकबन्दी की व्यवस्था हुयी और उत्तर

प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा-27 सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली 1954 की धारा 97 के

अर्न्तगत श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम राजस्व अभिलेखों मे अंकित हुआ।

और जैसा कि 1397 फसली से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम राजस्व अभिलेखों मे अंकित रहा और उनका

पुरातन खसरा संख्या-762(मि0) खसरा संख्या-768/2 (मि0), खसरा संख्या-769/1 (मि0), खसरा संख्या-770(मि0), खसरा

अनुज कुमार

कंवर वती

208

No. 19/3/08 ... 25000/-

[illegible]

10/7/08

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

25000

RUPEES

25000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

संख्या-772/1(मि0) अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-400 कि जो इस विलेख की सूची-क में वर्णित
सम्पत्ति के नाम से पहचाने गये तथा पुरातन खसरा संख्या-768/2(मि0), खसरा संख्या-772/1(मि0), खसरा संख्या-772/2(मि0)
अंकित रहे और यह परिवर्तित होकर नया खसरा संख्या-401 कि जो इस विलेख की सूची-ख में वर्णित से नाम से पहचाने गये।

और जैसा कि फसली वर्ष 1397 से पूर्व श्री आशा राम पुत्र श्री छेदू का नाम अभिलेखित था। इस विलेख की सूची-क
में वर्णित सम्पत्ति फसली वर्ष 1400-1405 में श्री देव पाल सिंह पुत्र श्री आशा राम के नाम अंकित हुआ तथा इस विलेख की
सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति श्री सतीश कुमार पुत्र श्री आशाराम के अंकित हुआ।

और जैसा कि श्री देव पाल सिंह पुत्र श्री आशाराम ने इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष मास्टर अनुज कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की,

अनुज कुमार

कंवरवती

208

दि. 17/3/08 ... 25000/-

द्वारा श्री ...

सिपाही ...

15/3/08

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड

25000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प समायोजन

हरिद्वार
रुड़की
दिनांक........

-7-

निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड तथा मा0 अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड तथा मा0 अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी
रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी
रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी 28-04-2000 के द्वारा विक्रीत
परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड के पक्ष मे विक्रय विलेख दिनांक 28-04-2000 के द्वारा विक्रीत
कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की कार्यालय मे बही संख्या-1 जिल्द संख्या- 13 के पृष्ठ संख्या- 338
एडीशनल फाईल बुक संख्या-1 जिल्द संख्या-177 के पृष्ठ संख्या- 179 से 182 पर प्रपत्र संख्या-1193 पर दिनांक
28-04-2000 को पंजीकृत है। फसली वर्ष 1406 से 1411 मे प्रथम पक्ष मे श्री अतुल कुमार इस विलेख की सूची-क
मे वर्णित सम्पत्ति क्रय करते समय अल्पवयस्क था और वर्तमान मे वयस्क हो गया है और वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र पर
स्वयं हस्ताक्षर कर रहा है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रथम पक्ष इस विलेख की सूची-क मे वर्णित सम्पत्ति के स्वामी
हो गये तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखो मे विधिवत अभिलेखित है।

अतुल कुमार   कंवरवती

208

दि. 19/3/08 ... 250/-

[illegible] [illegible]

19/3/08

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार • उत्तराखण्ड •

25000

RUPEES 25000

उत्तरांचल UTTARANCHAL

848160

-8-

और जैसा कि श्री सतीश कुमार पुत्र श्री आशाराम ने इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष मास्टर अनुज कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड अपनी माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड तथा श्री अतुल कुमार पुत्र श्री लोकेन्द्र पाल निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपनी माता एवं प्राकशतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दहियाकी परगना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 02-07-1999 के द्वारा विक्रीत कर दी, जिसका पंजीकरण कार्यालय उप-निबन्धक रुड़की कार्यालय में बही संख्या-1, जिल्द संख्या- 13 के पृष्ठ संख्या- 167 एडीशनल फाईल बुक संख्या-1 जिल्द संख्या- 150

अतुल कुमार कंवरवती

208

दि० 19/3/2008 रु० 25000/-

द्वारा श्री ... [illegible]

निवासी ...

19/3/08

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड ●

उत्तरांचल UTTARANCHAL

के पृष्ठ संख्या- 65 से 68 पर प्रपत्र संख्या-2172 पर दिनांक 02-07-1999 को पंजीकृत है। फसली वर्ष 1406 से 1411 में प्रथम पक्ष में श्री अनुज कुमार इस विलेख की सूची-क में वर्णित सम्पत्ति क्रय करते समय अल्पवयस्क था और वर्तमान में व्यस्क हो गया है और वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर रहे है। उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रथम पक्ष इस विलेख की सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी हो गये तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवत अभिलेखित है।

और जैसा कि प्रथम पक्ष के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति का स्वामित्व पवित्र है। यह सम्पत्ति किसी स्थान पर बन्धक व धरोहर नही है। इस सम्पत्ति पर कोई भार या अधिभार नही है।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति किसी विवाद या वाद से आच्छादित नही है। इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के विवाद से व न्यायालय के विवाद से मुक्त है।

अनुज कुमार

भारवती

208

ता० 19/3/08 ... 250001

हाथ की

विक्रेता ...

15/3/08

दफ्तर सबरजिस्ट्रार रुड़की-1 जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प इनायेजन
रजिस्ट्रार
रुड़की
दिनांक........

-10-

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति राजस्व न्यायालय, व्यवहार न्यायालय या किसी वित्तिय संस्था द्वारा बन्धक व कुड़क नही है और यह सम्पत्ति बन्धक व कुड़क रहित है।

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के भार, अधिकार, बन्धन, धरोहर गिरवी, सम्विदित ऋण से मुक्त है।

और जैसा कि द्वितीय पक्ष ने इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति पर उत्तराखण्ड शासन नियमानुसार औद्योगिक उत्थान करना है और शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी है।

और जैसा कि प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उन्होंने इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति सम्बन्ध में कोई संविदा या विक्रय का कोई विलेख पंजीकृत या अपंजीकृत संविदा नही कर रखा है और न ही किसी अन्य व्यक्ति से मौखिक रूप से या रसीद द्वारा कोई संविदा ही कर रखा है।

अंजुल कुमार   चक्रवर्ती

208

क्र. 19/3/08 ... रु. 25000/- ...

नाम श्री ... आर्किटैक्ट

निवासी ...

19/3/08

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

048464

उत्तरांचल UTTARANCHAL

3108/08
स्टाम्प समायोजन
सब रजिस्ट्रार
रुड़की
दिनांक 22/12/08

और जैसा कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति में पुष्टिकर्ता श्रीमती कंवरवती, प्रथम पक्ष पुत्रों की एकमात्र माता है तथा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका प्रारम्भ से रही है तथा प्रथम पक्ष में मा० अतुल कुमार की अभी संरक्षिका चली आ रही है। वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र अल्पव्यस्यक के हित में तथा लाभार्थ, उसकी प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम पक्ष यह भी वचन देते है कि वह अनुसूचित जाति व जनजाति नही है और प्रथम पक्ष का स्वामित्व स्पष्ट व पवित्र है।

और जैसा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम पक्ष को किसी कार्यालय किसी न्यायालय या किसी अधिकारी से किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता सम्पति विक्रय करने से पूर्व होती है, तो उस अनुमति को प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत प्रथम पक्ष उसके सम्बन्ध में पंजीकृत पावती के द्वारा द्वितीय

अतुल कुमार कंवरवती

२०४

दि० 19/3/08 का रु० 25000/ का स्टा०

द्वारा श्री... [illegible] श्री

निवासी..........................

15/3/08

स्टाम्प विक्रेता

कोषागार रुड़की

सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ...राखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

048465

उत्तरांचल UTTARANCHAL

स्टाम्प ...
सब रजिस्ट्रार
दिनांक 22/7/07

पक्ष को सूचित करने के लिये पूर्ण जिम्मेदार होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय पक्ष ने शासन से सम्पत्ति क्रय करने की अनुमति प्राप्त करनी है। इस अनुमति के प्राप्त करने में प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

और जैसा कि प्रथम पक्ष ने, द्वितीय पक्ष से सम्पर्क साधा है कि वह इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति को अंकन रू0 1,08,52,855-00(एक करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन मात्र) जिसके आधे रू0 54,26427-50(चव्वन लाख छब्बीस हजार चार सौ सत्ताईस रुपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि में क्रय कर लें और द्वितीय पक्ष ने उक्त प्रतिफल में उक्त सम्पत्ति को क्रय किया जाना स्वीकार किया है।

<u>अतः यह विक्रय अनुबन्ध-पत्र निम्न दर्शाता है :-</u>

1- यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को, इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति, पुष्टिकर्ता के साक्ष्य में व उपस्थिति में, तथा पुष्टिकर्ता के दायित्व पर, दायित्व रहित अंकन रू0 1,08,52,855-00(एक करोड आठ लाख बावन हजार आठ सौ पचपन मात्र) की धनराशि में विक्रीत करेंगे और द्वितीय पक्ष क्रय करेंगे। द्वितीय

अतुल कुमार

कादर वती

200

दि० 19/3/08 का रु० 25000/-

द्वारा श्री प्रीतम सिंह

निवासी .... [illegible]

16/3/08

[illegible]

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES रुपये

पच्चीस हजार रुपये

048466

उत्तरांचल UTTARANCHAL

पक्ष ने प्रथम पक्ष को अंकन रु0 27,13,400-00(सत्ताईस लाख तेरह हजार चार सौ पचास मात्र) की धनराशि अग्रिम धनराशि के रुप में समर्पित कर दी है, जिसको प्रथम पक्ष स्वीकार करता है तथा शेष धनाराशि अंकन रु0 81,39,455-00(इक्यासी लाख उनतालीस हजार चार सौ पचपन मात्र) विक्रय पत्र के समय प्राप्त करेंगे धनराशि प्रथम पक्ष ने निम्नानुसार प्राप्त की है :-

क- अंकन रु0 13,56,700-00(तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ मात्र) रुपये द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या-000693 दिनांकित 19-03-2008 वासे बैंक एच0डी0एफ0सी0 रुड़की जिला हरिद्वार पर आहरित है। यह ड्राफ्ट श्री अतुल कुमार के नाम जारी किया जा रहा है।

अतुल कुमार

स्टाम्प

208

दि० 19/3/08 ... 25000/-

द्वारा श्री ... आशीष [illegible] ...

निवासी ... [illegible]

[illegible] 19/3/08

कोषागार [illegible]

स्टाम्प सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 RUPEES रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048467

ख- अंकन रू0 13,56,700-00(तेरह लाख छप्पन हजार सात सौ मात्र) रूपये द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या-000694 दिनांकित 19-03-2008 वास्ते बैंक एच0डी0एफ0सी0 रूडकी जिला हरिद्वार पर आहरित है। यह ड्राफ्ट श्रीमति कंवरवती के नाम जारी किया जा रहा है।

ग- यह कि विक्रय पत्र कराने की अन्तिम तिथि दोनो पक्षो द्वारा 24 सितम्बर 2008 तय हुई है, और यदि प्रथम पक्ष को प्राप्त की गयी अग्रिम धनराशि से अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है तो द्वितीय पक्ष से कुल धनराशि का 25 प्रतिशत आज की तिथि से तीन माह बाद प्राप्त करेगा, और द्वितीय पक्ष देने के लिये पाबन्द रहेगा।

2- यह कि विक्रय अनुबन्धन पत्र की शर्तो के अनुसार विक्रय विलेख पत्र कराने की अन्तिम तिथि 24 सितम्बर 2008 तय हुई है।

अतुल कुमार

कंवरवती

31/08/08

स्टाम्प लशावीजस्र

208

रजि० 19/3/08 को रु० 250/- फीस

द्वारा श्री प्रमोद कुमार पुत्र ...

विभागी .... का रोजा

उप निबन्धक 19/3/08

चौधरारा, रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड ●

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तरांचल UTTARANCHAL

048468

-15-

3- यह कि इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने-कराने की समयावधि, द्वितीय पक्ष को शासन द्वारा अनुमति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर होनी तय पायी है। अनुमति के उपरान्त तथा विक्रय विलेख अंकित व निष्पादित करते समय प्रथम पक्ष को शेष विक्रय प्रतिफल अंकन . रू0 81,39,455-00(इक्यासी लाख उनतालीस हजार चार सौ पचपन मात्र) समर्पित किया जायेगा। इस विलेख की सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक अध्यासन विक्रय विलेख के पंजीकरण के समय ही प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को सौंप दिया जायेगा तथा द्वितीय पक्ष को इस विलेख सूची-क व ख में वर्णित सम्पत्ति पर आरूढ कर दिया जायेगा।

4- यह कि विक्रय विलेख पर होने वाला समस्त व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

स्टाम्प समायोजन

208

दि० 19/3/08 का रु. 25000/- का स्टा।
द्वारा श्री अनिल कुमार पुत्र/पत्नी श्री ......
निवासी .... ने बेचा।

19/3/08
उप कोषाधिकारी
कोषागार रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड

048469

उत्तरांचल UTTARANCHAL

5- यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त है कि वह विक्रय विलेख अपने नाम अंकित व निष्पादित करा ले या अपने मनोनित व्यक्ति के नाम अंकित व निष्पादित करा ले।

6- यह कि पुष्टिकर्ता श्रीमती कंवरवती, प्रथम पक्ष पुत्रों की एकमात्र माता है तथा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका प्रारम्भ से रही है तथा प्रथम पक्ष में ना0 अतुल कुमार की अभी संरक्षिका चली आ रही है। वर्तमान विक्रय अनुबन्ध पत्र अल्पव्यस्क के हित में तथा लाभार्थ, उसकी प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती कंवरवती धर्मपत्नी श्री लोकेन्द्र कुमार के माध्यम से किया जा रहा है।

7- यह कि प्रथम पक्ष को किसी कार्यालय किसी न्यायालय या किसी अधिकारी से किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता सम्पत्ति विक्रय करने से पूर्व होती है, तो उस अनुमति को प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तथा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत प्रथम पक्ष उसके सम्बन्ध में पंजीकृत पावती के द्वारा द्वितीय पक्ष को सूचित करने के लिये पूर्ण जिम्मेदार

अतुल कुमार
दिनांक 3/08/08

कंवर वती

208

दि० 19/3/08 को रु० 25079/ का स्टा०

द्वारा श्री शोभित पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

निवासी .... को बेचा

19/3/08

मुख्य स्टाम्प विक्रेता

कोषागार

सबरजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

048470

उत्तरांचल UTTARANCHAL

होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय पक्ष ने शासन से सम्पत्ति क्रय करने की अनुमति प्राप्त करनी है। इस अनुमति के प्राप्त करने में प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

8- यह कि वर्तमान संविदे के दौरान प्रथम पक्ष इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति को भार रहित रखेगा तथा अध्यासन को सुरक्षित रखेगा तथा स्वामित्व को सुरक्षित रखेगा। उपरोक्त काल में किसी तृतीय पक्ष का भार न ही सृजित करेगा और न ही सृजित होने देगा। प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है कि वह इस विलेख की सूची-क व सूची-ख में वर्णित सम्पत्ति के शान्तिपूर्ण अध्यासन में है और इसके अध्यासन व स्वामित्व की सुरक्षा विक्रय विलेख होने तक प्रथम पक्ष की है।

9- यह कि द्वितीय पक्ष ने औद्योगिक उत्थान व भूमि क्रय करने हेतु, उत्तराखण्ड शासन से, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (यथासंशोधित उत्तरांचल अधिनियम संख्या-29 वर्ष 2003) तथा उत्तरांचल

अतुल कुमार कादर वली

31/08/08

स्टाम्प समायोजन

208

दि॰ 19/7/08 को रु॰ 25070/- का टिकट
द्वारा श्री [illegible]
निवासी [illegible] को बेचा

19/7/08
उप कोषाधिकारी
कोषागार [illegible]

सब रजिस्ट्रार रुड़की-I जिला हरिद्वार ● उत्तराखण्ड ●